

हज प्रचालन

विदेश मंत्रालय (एमईए), जो कि हज मामलों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है के अंतर्गत हज यात्रियों के परिवहन हेतु अपेक्षित प्रबंध करने के लिए केंद्रीय हज समिति (सीएचसी) एक संवैधानिक निकाय है। वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने, योजना के क्रियान्वयन, हवाई यात्रा या अन्य किसी भी साधन से यात्रा के प्रबंध सहित सभी कर्तव्य सीएचसी के हैं। हज तीर्थयात्रा के लिए आवेदन मंगाने, यात्रियों का चयन और उनसे किराया भी सीएचसी द्वारा ही एकत्रित किया जाता है।

नागर विमानन मंत्रालय सीएचसी और विदेश मंत्रालय के विचार-विमर्श से हज तीर्थयात्रियों को भारत से सऊदी अरब और वापस भारत पहुँचाने के लिए उत्तरदायी है और हज प्रचालनों के लिए अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। यह नोट किया जा सकता है कि जबकि अनुदान नागर विमानन मंत्रालय के बजट में से ही प्रदान किया जाता है, लाभार्थियों का चयन केंद्रीय हज समिति द्वारा ही किया जाता है।

एक प्रक्रिया विकसित हुई है जिसके अंतर्गत एअर इंडिया, सीएचसी, एमईए और डीजीसीए के परामर्श से हज समिति यात्रियों को भारत में विभिन्न आरोहण केन्द्रों से भारत से जेद्दाह और वापस लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था हेतु विमान किराए पर लेने का प्रबंध करती है। नागर विमानन मंत्रालय प्रचालन की वास्तविक लागत या अन्य प्रचालकों द्वारा प्रभारित वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति करता है (एअर इंडिया को तीर्थयात्रियों से प्राप्त किराए की राशि घटाने के पश्चात) जो कि एअर इंडिया के शेष भुगतान के निमित्त समायोजित की जाती है और एअर इंडिया द्वारा अन्य प्रचालकों/समन्वयकों से अन्य प्रचालकों को उनके द्वारा वहन किए गए वास्तविक यात्रियों की संख्या के आधार पर वितरित की जाती है।

सऊदी अरब का राष्ट्रीय वाहक, सौदिया भी एअर इंडिया के साथ हज चार्टर यातायात का सहभाजन कर रहा है। जेद्दाह तक/से प्रचालित विमानों के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर एअर इंडिया सौदिया को प्रति यात्री किराए का भुगतान करता है।

2001 के बाद नीचे दी गई सब्सिडी का विवरण

वर्ष	वास्तव में तीर्थयात्री की संख्या	तीर्थयात्री की यात्रा का कुल राशि (रु) में	प्रत्येक तीर्थयात्री द्वारा जमा राशि (रु) में	तीर्थयात्रियों पर छूट (रु) में
1.	2.	3.	4.	5.
2001	71215	*29000	12,000	*17000
2002	70298	*36609	12,000	*24609
2003	70019	*36504	12,000	24504
2004	71945	*34240	12,000	*22,240
2005	80,786	36,513	12,000	*24,513
2006	99,926	41,094	12,000	*29,094
2006-II	1,08,372	47,477	12,000	*35,477
2007	1,10,000	55,340	12,000	*43,340
2008	1,21,695	85,526	12,000	*73,526
2009	1,20,131	69,430	12,000	*57,430
2010	1,26,192	69,428	12,000	*57,428
2011	1,25,000	54800	16,000	*38,800